कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdajodhpur@yahoo.com [illegible] https://urban.rajasthan.gov.in/jda Phone No. 0291-2612986/2656855-7

क्रमांक / बैठक / 2023 / 2508 दिनांक :: 05.09.2023

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 23 अगस्त, 2023 को दोपहर 12.15 बजे प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 13 जुलाई 2023 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक **13 जुलाई 2023** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **13 जुलाई 2023** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मतिं से गत बैठक दिनांक 13 जुलाई, 2023 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: सृष्टि सेवा संस्थान जोधपुर को हुडको क्वाटर्स, चाणक्य नगर, लालसागर में स्थित सार्वजनिक पार्क व सामुदायिक भवन को रखरखाव व देखरेख हेतु 10 वर्ष के लिए गोद देने बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	सृष्टि सेवा संस्थान जोधपुर को हुडको क्वाटर्स, चाणक्य नगर, लालसागर में स्थित सार्वजनिक पार्क व सामुदायिक भवन को रखरखाव व देखरेख हेतु 10 वर्ष के लिए गोद देने के संबंध मे।	सृष्टि सेवा संस्थान जोधपुर को हुडको क्वाटर्स, चाणक्य नगर, लालसागर में स्थित सार्वजनिक पार्क व सामुदायिक भवन को रखरखाव व देखरेख हेतु 10 वर्ष के लिए गोद देने की अभिशंषा की जाती हैं।

अध्यक्ष, सृष्टि सेवा संस्थान चाणक्य नगर जोधपुर द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर हुडको क्वाटर्स, चाणक्य नगर, लालसागर में स्थित सार्वजनिक पार्क व सामुदायिक भवन को रखरखाव व देखरेख हेतु 10 वर्ष के लिए गोद लेने के लिए मांग की है।

उक्त संबंध निवेदन है कि उक्त पार्क व सामदायिक भवन को पूर्व में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27.2.2012 के एजेण्डा संख्या 09 के द्वारा सृष्टि सेवा संस्थान चाणक्य नगर जोधपुर को रखरखाव एवं देखरेख के लिए 10 वर्ष हेतु गोद देने का निर्णय लिया गया जिसकी पालना में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं सृष्टि सेवा संस्थान चाणक्य नगर जोधपुर बीच में 11.3.2013 को एमओयू सम्पादित किया गया। जिसके अनुसार हस्तांतरित की जाने वाली सुविधा यथा सामुदायिक भवन व पार्क में बिजली पानी के खर्चे का भूगतान प्रथम पक्षकार अर्थात जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा किया जायेगा एवं रखरखाव संबंधी कार्य यथा पौधे लगवाना चल व अचल सम्पति की सुरक्षा आदि द्वितीय पक्षकार अर्थात संस्था द्वारा की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

सामुदायिक भवन व पार्क को गोद लेने वाली सस्था 5000/— रूपये प्रतिदिन के हिसाब से किराये पर दे सकेगी। जिसका उपयोग उक्त पार्क व सामुदायिक भवन व पार्क की रखरखाव हेतु करना होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, सरकारी व अन्य जनहित में यह निःशुल्क उपलब्ध करवाना होगा।

10 वर्ष की अवधि के पश्चात साधारण कार्य उपयुक्त पाये जाने पर बढाई या घटाई जा सकती है। इसी शर्त के अन्तर्गत संस्था द्वारा उक्त अनुबंध को आगामी 10 वर्ष बढाने के लिए आवेदन किया है।

आवेदन प्राप्त होने पर पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट करवाई गई जिसके अनुसार वर्तमान में पार्क पार्क बना हुआ है एवं चारदिवारी और पेड़—पौधे लगे हुए है। मौके पर सामुदायिक भवन बना हुआ है तथा सही स्थिति में है। आस—पास पूछने पर बताया पर बताया गया कि उक्त सामुदायिक भवन एवं पार्क का उपयोग मौहल्ले वासियो द्वारा शादी ब्याह व अन्य सामाजिक कार्य में काम में लिया जाता है।

इस प्रकार मौका रिपोर्ट अनुसार संस्था द्वारा मौके पर कार्य संतोषजनक पाया गया है अतः सस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन अर्थात पूर्व सम्पादित अनुबंध दिनांक 11.3.2013को आगामी 10 वर्ष बढाने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं।

<u>निर्णय</u>

बैठक में उपस्थित उपायुक्त—6 ने प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया जाकर प्रस्तावानुसार संस्था के साथ पूर्व निष्पादित अनुबंध दिनांक 11 मार्च, 2013 को आगामी 10 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी 10 (दस) वर्ष में सामुदायिक भवन पार्क किराया 5,000/— रूपये से बढ़ाकर 11,000/— रूपये मात्र (ग्यारह हजार मात्र) प्रति कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है एवं बिजली, पानी का बिल संस्था द्वारा ही वहन किया जावेगा शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

प्रस्ताव संख्या 3 :: महामन्दिर प्रथम पोल में स्थित बाबू लक्ष्मणसिंह पार्क, वाचनालय एवं सामुदायिक भवन को रखरखाव एवं देखरेख हेतु बाबू लक्ष्मणसिंह सेवादेवी गहलोत मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, महामन्दिर जोधपुर को गोद देने बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	महामन्दिर प्रथम पोल में स्थित बाबू लक्ष्मणसिंह पार्क, वाचनालय एवं सामुदायिक भवन को रखरखाव एवं देखरेख हेतु बाबू लक्ष्मणसिंह सेवादेवी गहलोत मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, महामन्दिर जोधपुर को गोद देने बाबत।	महामन्दिर प्रथम पोल में स्थित बाबू लक्ष्मणसिंह पार्क, वाचनालय एवं सामुदायिक भवन को रखरखाव एवं देखरेख हेतु बाबू लक्ष्मणसिंह सेवादेवी गहलोत मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, महामन्दिर जोधपुर की अभिशंषा की जाती हैं।

सचिव, बाबू लक्ष्मणसिंह सेवादेवी गहलोत मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, महामन्दिर जोधपुर द्वारा महामन्दिर प्रथम पोल में स्थित बाबू लक्ष्मणसिंह पार्क, वाचनालय एवं सामुदायिक भवन को रखरखाव एवं देखरेख हेतु हेतु 10 वर्ष के लिए गोद लेने के लिए मांग की है।

उक्त संबंध निवेदन है कि उक्त पार्क व सामदायिक भवन, एवं वाचनालय को पूर्व में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27.2.2012 के एजेण्डा संख्या 09 के द्वारा बाबू लक्ष्मणसिंह सेवादेवी गहलोत मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, महामन्दिर जोधपुर को रखरखाव एवं देखरेख के लिए 10 वर्ष हेतु गोद देने का निर्णय लिया गया जिसकी पालना में जोधपुर विकास

Scanned with OKEN Scanner

प्राधिकरण, जोधपुर एवं बाबू लक्ष्मणसिंह सेवादेवी गहलोत मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, महामन्दिर जोधपुर बीच में 11.3.2013 को एमओयू सम्पादित किया गया। जिसके अनुसार हस्तांतरित की जाने वाली सुविधा यथा सामुदायिक भवन व पार्क व वाचनालय में बिजली पानी के खर्चे का भूगतान प्रथम पक्षकार अर्थात जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा किया जायेगा एवं रखरखाव संबंधी कार्य यथा पौधे लगवाना चल व अचल सम्पति की सुरक्षा वाचनालय में बच्चो को पढने के लिए बुक्स फर्नीचर व स्टाफ की व्यवस्था संस्था द्वारा की जायेगी एवं उक्त परिसर स्थायी सम्पति पर प्रथम पक्षकार द्वारा किया जायेगा।

सामुदायिक भवन व पार्क व वाचनालय को गोद लेने वाली सस्था 5000/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से किराये पर दे सकेगी। जिसका उपयोग उक्त पार्क व सामुदायिक भवन व पार्क की रखरखाव हेतु करना होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, सरकारी व अन्य जनहित में यह निःशुल्क उपलब्ध करवाना होगा।

10 वर्ष की अवधि के पश्चात साधारण कार्य उपयुक्त पाये जाने पर बढाई या घटाई जा सकती है। इसी शर्त के अन्तर्गत संस्था द्वारा उक्त अनुबंध को आगामी 10 वर्ष बढाने के लिए आवेदन किया है।

आवेदन प्राप्त होने पर पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट करवाई गई जिसके अनुसार वर्तमान में सामुदायिक भवन व पार्क बना हुआ है जो अच्छी स्थिती में है एवं वाचनालय मे बच्चे पढते हुए पाये गये तथा वहा इनका रजिस्ट्रर संधारित पाया जिसके अनुसार प्रतिदिन सैकड़ो उक्त वाचनालय में विद्यार्थी निःशुल्क अध्यन करते है जो बहूत ही अच्छी अतुल्य कार्य है।

इस प्रकार मौका रिपोर्ट अनुसार संस्था द्वारा मौके पर कार्य संतोषजनक पाया गया है अतः सस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन अर्थात पूर्व सम्पादित अनुबंध दिनांक 11.3.2013 को आगामी 10 वर्ष बढाने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं।

<u>निर्णय</u>

बैठक में उपस्थित उपायुक्त–6 ने प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया जाकर प्रस्तावानुसार संस्था के साथ पूर्व निष्पादित अनुबंध दिनांक 11 मार्च, 2013 को आगामी 10 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी 10 (दस) वर्ष में भवन पार्क में कार्यक्रम की किराया राशि 5000/– रूपये से बढ़ाकर 11,000/– रूपये मात्र (ग्यारह हजार मात्र) प्रति कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है

प्रस्ताव संख्या 4 :: तिलक नगर प्रथम मौहल्ला विकास समिति को तिलक नगर मौहल्ला में स्थित सामुदायिक भवन को गोद देने बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	तिलक नगर प्रथम मौहल्ला विकास समिति को तिलक नगर मौहल्ला में स्थित सामुदायिक भवन को गोद देने बाबत	तिलक नगर प्रथम मौहल्ला विकास समिति को तिलक नगर मौहल्ला में स्थित सामुदायिक भवन को गोद देने बाबत।की अभिशंषा की जाती हैं।

अध्यक्ष, तिलक नगर प्रथम मौहल्ला विकास समिति जोधपुर द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर तिलक नगर में स्थित सामुदायिक भवन को रखरखाव व देखरेख हेतु 10 वर्ष के लिए गोद लेने के लिए मांग की है।

Scanned with OKEN Scanner

उक्त संबंध निवेदन है कि उक्त सामदायिक भवन को पूर्व में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27.2.2012 के एजेण्डा संख्या 09 के द्वारा तिलक नगर प्रथम मौहल्ला विकास समिति जोधपुर को रखरखाव एवं देखरेख के लिए 10 वर्ष हेतु गोद देने का निर्णय लिया गया जिसकी पालना में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं तिलक नगर प्रथम मौहल्ला विकास समिति जोधपुर बीच में 11.3.2013 को एमओयू सम्पादित किया गया। जिसके अनुसार हस्तांतरित की जाने वाली सुविधा यथा सामुदायिक भवन में बिजली पानी के खर्चे का भूगतान प्रथम पक्षकार अर्थात जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा किया जायेगा एवं रखरखाव संबंधी कार्य यथा पौधे लगवाना चल व अचल सम्पति की सुरक्षा आदि द्वितीय पक्षकार अर्थात संस्था द्वारा की जायेगी।

सामुदायिक भवन व पार्क को गोद लेने वाली सस्था 5000/— रूपये प्रतिदिन के हिसाब से किराये पर दे सकेगी। जिसका उपयोग उक्त सामुदायिक भवन व पार्क की रखरखाव हेतु करना होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, सरकारी व अन्य जनहित में यह निःशुल्क उपलब्ध करवाना होगा।

10 वर्ष की अवधि के पश्चात साधारण कार्य उपयुक्त पाये जाने पर बढाई या घटाई जा सकती है। इसी शर्त के अन्तर्गत संस्था द्वारा उक्त अनुबंध को आगामी 10 वर्ष बढाने के लिए आवेदन किया है।

आवेदन प्राप्त होने पर पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट करवाई गई जिसके अनुसार वर्तमान में मौके पर सामुदायिक भवन बना हुआ है तथा सही स्थिति में है एवं तीन मंजिला इमारत बनी हुई आस—पास पूछने पर बताया पर बताया गया कि उक्त सामुदायिक भवन उपयोग मौहल्ले वासियो द्वारा शादी ब्याह व अन्य सामाजिक कार्य में काम में लिया जाता है जिसकी शुल्क समिति द्वारा वसूल की जाती है।

इस प्रकार मौका रिपोर्ट अनुसार संस्था द्वारा मौके पर कार्य संतोषजनक पाया गया है लेकिन उक्त सामुदायिक भवन से शादी ब्याह में अच्छी आय होना प्राप्त होना प्रतीत होता है जिसके मध्यनजर उक्त सामुदायिक भवन पर वर्तमान में प्रथम पक्षकार किसी प्रकार व्यय वहन नही किया जायेगा एवं नही बिजली पानी का बिल वहन किया जायेगा। उक्त समस्त खर्चे मौहल्ला विकास समिति द्वारा वहन किये जाने की स्थिति में उक्त अनुबंध को आगे बढाया जाना उचित रहेगा। अतः सस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन अर्थात पूर्व सम्पादित अनुबंध दिनांक 11.3.2013 को आगामी 10 वर्ष बढाने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं।

<u>निर्णय</u>

बैठक में उपस्थित उपायुक्त—6 ने प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार संस्था के साथ पूर्व निषादित अनुबंध दिनांक 11 मार्च, 2013 को आगामी 10 (दस) वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय के साथ ही प्रस्ताव में वर्णित किराया राशि 5000/— रूपये के स्थान पर 11,000/— रूपये मात्र किये जाने का निर्णय लिया गया एवं आगामी 10 वर्ष तक बिजली, पानी का बिल संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रस्ताव संख्या 5 :: रूपवाटिका सार्वजनिक उद्यान व सामुदायिक भवन रूपनगर महामन्दिर जोधपुर को देखरेख एवं रखरखाव हेतु जोधाणा जन कल्याण सेवा समिति को गोद देने बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	रूपवाटिका सार्वजनिक उद्यान व सामुदायिक भवन रूपनगर महामन्दिर जोधपुर को देखरेख एवं रखरखाव हेतु जोधाणा जन कल्याण सेवा समिति को गोद देने बाबत।	रूपवाटिका सार्वजनिक उद्यान व सामुदायिक भवन रूपनगर महामन्दिर जोधपुर को देखरेख एवं रखरखाव हेतु जोधाणा जन कल्याण सेवा समिति को गोद देने की अभिशंषा की जाती हैं।

Scanned with OKEN Scanner

अध्यक्ष, जोधाणा जन कल्याण सेवा समिति जोधपुर द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर रूपवाटिका सार्वजनिक उद्यान व सामुदायिक भवन रूपनगर महामन्दिर जोधपुर को देखरेख एवं रखरखाव हेतु 10 वर्ष के लिए गोद लेने के लिए मांग की है।

उक्त संबंध निवेदन है कि उक्त पार्क व सामदायिक भवन को पूर्व में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27.2.2012 के एजेण्डा संख्या 09 के द्वारा जोधाणा जन कल्याण सेवा समिति जोधपुर को रखरखाव एवं देखरेख के लिए 10 वर्ष हेतु गोद देने का निर्णय लिया गया जिसकी पालना में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं जोधाणा जन कल्याण सेवा समिति जोधपुर बीच में 11.3.2013 को एमओयू सम्पादित किया गया। जिसके अनुसार हस्तांतरित की जाने वाली सुविधा यथा सामुदायिक भवन व पार्क में बिजली पानी के खर्चे का भूगतान प्रथम पक्षकार अर्थात जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा किया जायेगा एवं रखरखाव संबंधी कार्य यथा पौधे लगवाना चल व अचल सम्पति की सुरक्षा आदि द्वितीय पक्षकार अर्थात संस्था द्वारा की जायेगी।

सामुदायिक भवन व पार्क को गोद लेने वाली सस्था 5000/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से किराये पर दे सकेगी। जिसका उपयोग उक्त पार्क व सामुदायिक भवन व पार्क की रखरखाव हेतु करना होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, सरकारी व अन्य जनहित में यह निःशुल्क उपलब्ध करवाना होगा।

10 वर्ष की अवधि के पश्चात साधारण कार्य उपयुक्त पाये जाने पर बढाई या घटाई जा सकती है। इसी शर्त के अन्तर्गत संस्था द्वारा उक्त अनुबंध को आगामी 10 वर्ष बढाने के लिए आवेदन किया है।

आवेदन प्राप्त होने पर पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट करवाई गई जिसके अनुसार वर्तमान में पार्क पार्क एवं भवन बना हुआ है जिसमें लगभग 25 से 30 कमरे है जिसमें वर्तमान में ऐसे वृद्ध लोगों की ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है जिनको कोई परिवार का सहारा नही है निरिक्षण के दौरान पाया गया कि वर्तमान में 27 लोग रहवास कर रहे थे तथा संधारित पंजिका अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यहा नियमित रूप से वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा हैं मौके पर उपलब्ध संस्था सरंक्षक श्री रतन सिंह गहलोत द्वारा बताया गया कि वृद्धाश्रम संचालन के साथ–साथ रक्तदान शिविर मेडिकल कैम्प, प्रर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों का निःशुल्क आयोजन किया जाता रहा हैं। संस्था द्वारा वृद्धाश्रम में रूकने वाले व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का शुल्क नही लिया जाता हैं। उनके द्वारा बताया गया कि संस्था के लगभग 6000 सदस्य है जिनके सदस्ता शुल्क से यह वृद्धाश्रम संचालित हो रहा है उक्त वृद्धाश्रम निर्मित भवन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, द्वारा बनाया गया हैं।

इस प्रकार मौका रिपोर्ट अनुसार संस्था द्वारा मौके पर कार्य संतोषजनक पाया गया है अतः सस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन अर्थात पूर्व सम्पादित अनुबंध दिनांक 11.3.2013को आगामी 10 वर्ष बढाने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में उपस्थित उपायुक्त–6 ने प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार संस्था के साथ पूर्व निष्पादित अनुबंध दिनांक 11 मार्च, 2013 को आगामी 10 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी 10 (दस) वर्ष में भवन पार्क में कार्यकम की किराया राशि 5000/– रूपये से बढ़ाकर 11,000/– रूपये मात्र (ग्यारह हजार मात्र) प्रति कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या 6 :: मध्यस्थ प्रकरण मैसर्स छगनीराम गहलोत बनाम राज्य व अन्य में एकल मध्यस्थ श्री एन.आर. राय के द्वारा अवार्ड दिनांक 29.02.2020 के विरूद्ध वाणिज्यिक न्यायालय, जोधपुर के समक्ष प्राधिकरण की ओर से काउंटर क्लेम प्रस्तुत करने एवं पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता श्री दलीप सिंह राजवी को स्पेशल फीस रूपये 4,00,000/– की स्वीकृति हेतु।

मध्यस्थ प्रकरण मैसर्स छगनीराम गहलोत बनाम राज्य व अन्य में एकल मध्यस्थ श्री एन.आर. राय के द्वारा दिनांक 29.02.2020 को प्रार्थी के पक्ष में अवार्ड पारित करते हुए कुल राशि 91,88,050/–रूपये का भुगतान मय अवार्ड की दिनांक 29.02.2020 से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के करने हेतु आदेशित किया गया। साथ ही प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम राशि 66.99 लाख रूपये अस्वीकार किया गया।

प्राधिकरण के द्वारा एकल मध्यस्थ अवार्ड दिनांक 29.02.2020 के विरूद्ध वाणिज्यिक न्यायालय, जोधपुर महानगर के समक्ष धारा 34 मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के तहत आपत्तियां तथा काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया।

माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 15.11.2022 के द्वारा प्राधिकरण की ओर से धारा 34 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्राधिकरण के विरूद्ध जारी अवार्ड को अपास्त कर दिया गया। साथ ही प्राधिकरण के द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम को विवाद्यक संख्या 7 एवं 8 की सीमा तक स्वीकार करते हुए प्राधिकरण को वांछित राशि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 03.10.2020 से ता वसूली 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित संवेदक से प्राप्त करने का अधिकारी घोषित किया गया है।

पैनल अधिवक्ता श्री दलीप सिंह राजवी को मध्यस्थ अवार्ड के विरूद्ध धारा 34 के तहत आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु विशेष फीस भुगतान कमेटी की बैठक दिनांक 19.07.2021 के प्रस्ताव संख्या 3 के क्रम में लिये गए निर्णय की पालना में जारी आदेश क्रमांकः7450 दिनांक 03.08.2021 के द्वारा 1,10,000/–रूपये स्पेशल फीस के रूप में स्वीकृत किए जा चुके है। श्री राजवी द्वारा फीस बिल दिनांक 19.12.2022 प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत काउंटर क्लेम 66,99,000/–रूपये की 10 प्रतिशत राशि रूपये 6,69,900/–रूपये फीस की मांग की गई है।

श्री राजवी द्वारा रूपये 6,69,900/–की फीस का बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण मार्ग दर्शन हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 24.01.2023 के द्वारा संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर को प्रेषित किया गया। नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 28.07.2023 के द्वारा श्री राजवी के बिल के संबंध में प्राधिकरण स्तर से परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

नगरीय विकास विभाग के उक्त पत्र दिनांक 28.07.2023 के क्रम में स्पेशल फीस के भुगतान के संबंध में निर्णय लेने हेतु आदेश क्रमांकःएफ–42/विधि/जेडीए/1157 दिनांक 27.06.2016 के द्वारा गठित कमेटी की बैठक दिनांक 03.08.2023 में यह निर्णय लिया गया कि पैनल अधिवक्ता श्री दलीप सिंह राजवी को काउंटर क्लेम प्रस्तुत करने एवं पैरवी करने हेतु स्पेशल फीस रू 4,00,000/– के भुगतान की अभिशंषा का प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जावे।

अतः समिति की बैठक दिनांक 03.08.2023 में लिए गये निर्णय के क्रम में मध्यस्थ अवार्ड दिनांक 29.02.2020 के विरूद्ध माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, जोधपुर के समक्ष प्राधिकरण की ओर से काउंटर क्लेम प्रस्तुत करने एवं पैरवी करने हेतु श्री दलीप सिंह राजवी को स्पेशल फीस रूपये 4,00,000/– (अक्षरे चार लाख रूपये) के भुगतान की स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

बैठक में उपस्थित निदेशक–विधि द्वारा प्रकरण के संबंध में जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: आवासीय योजना खसरा नम्बर 213 ग्राम मोगडा कला मे मुटाम लगाने का कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति का प्रस्ताव।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	आवासीय योजना खसरा नम्बर 213 ग्राम मोगडा कला मे मुटाम लगाने का कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति का प्रस्ताव।

आवासीय योजना खसरा नम्बर 213 ग्राम मोगडा कला मे मुटाम लगाने का कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 6.00 लाख है। कार्य की कार्यादेश राशि रू 770042/– है। कार्य पर अब तक कुल व्यय राशि रूपये 653052.53/–हुआ है। कार्य की अतिरिक्त राशि रूपये 506536.28/– जो कार्यादेश का 65.78 प्रतिशत है, तथा कार्य की अधिक राशि रूपये 122/– जो कार्यादेश का 0.01 प्रतिशत है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गैर राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यो के सम्बंध में **प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.11.2020** के प्रस्ताव सं. 2(2) की सूचि A मे **प्रचलित SOP के अनुसार प्राधिकरण स्तर पर स्वीकृत होने वाले प्रकरणो की सूचि** के क्रम संख्या 5 पर "आवासीय योजना खसरा नम्बर 213 ग्राम मोगडा कला मे मुटाम लगाने का कार्य" को **नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प 10(01)नविवि/2003 पार्ट दिनांक 10.03.2021** द्वारा **प्राधिकरण की सक्षमता मे नियमित किये जाने के निर्देशो** के क्रम मे प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 07.04.2021 बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 160 दिनांक 09.04.2021 प्रस्ताव संख्या 26 (Page 28-29) अतिरिक्त कार्यो की सूची क्रमांक 04 मे कार्य की अतिरिक्त राशि रूपये 506536.28/– जो कार्यादेश का 65.78 प्रतिशत है, की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। साथ मे यह भी निर्णय लिया गया है कि अतिरिक्त एवं अधिक कार्यो की राशि को सम्मिलित करते हुए यदि संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति की आवश्यकता हो तो संशोधित वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जावे। कार्य की अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 53053/– की आवश्यकता है।

अतः कार्य की अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 53053/– जारी करते हुए संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव कार्यकारी समिति से अनुमोदित किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

निर्णय

बैठक में उपस्थित निदेशक–अभियांत्रिकी एवं निदेशक–वित्त द्वारा प्रकरण के संबंध में जानकारी दी। बैठक में यह भी जानकारी दी गयी कि प्रस्तुत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रकरण आयुक्त महोदय की अधिकारिता का है लेकिन प्रकरण वर्ष 2013 का होने तथा सामानान्तरण प्रकरणों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देश की पालना में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिस पर बैठक में निर्णय लिया जाना है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या 8 :: प्राधिकरण में कम्प्यूटराईजेशन अक्टूबर 2023 से मार्च 2025 तक NICSI के माध्यम से करवाने बाबत्।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	प्राधिकरण में अक्टूबर 2023 से मार्च 2025 तक कम्प्यूटराईजेशन कार्य NICSI नई दिल्ली के माध्यम से करवाने की स्वीकृति।

NICSI भारत सरकार का विभाग है जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों में ई–गवर्नेश को बढ़ावा देना है।

प्राधिकरण में फरवरी 2013 से अब तक किया गया कम्प्यूटराईजेशन NICSI द्वारा संतोषजनक रहा है। वर्तमान में प्राधिकरण में पहले से चल रहे विकसित विभिन्न पोर्टलों का मेंटेनेंस फाईल ट्रैकिंग सिस्टम (FTS) , IDMS, Salary and Pension, बेचान अनुमति मैनेजमेन्ट सिस्टम, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन भुगतान, प्राधिकरण की नवीन आवासीय एवं व्यवसयिक स्कीम के आवेदन, कम्प्यूटराईज लॉटरी, अकाउण्ट सिस्टम, स्कैनिंग, प्राधिकरण के द्वारा जारी किये जानें वाले पट्टों की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनें हेतु पोर्टल, एवं Layout Plan Approval Tracking आदि एवं नए पोर्टल को विकसित करना, इत्यादि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में E-Work प्रोजेक्ट बनाने का कार्य चल रहा है। कार्य को निरन्तर NICSI से करवाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रस्तुत है।

प्राधिकरण में उपरोक्त कम्प्यूटरईजेशन हेतु NICSI नई दिल्ली को लगभग वार्षिक 70 लाख रूपये का NICSI नई दिल्ली को अग्रिम भुगतान किया जाना है।

अतः प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने तथा अग्रिम भुगतान के अनुमोदन हेतु एजेण्डा नोट बनाकर पत्रावली कार्यकारी समिति के सक्षम निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में प्रकरण के संबंध में जानकारी देने हेतु श्री कैलाश जोशी एवं श्री इमरान परवेज, प्रोग्रामर उपस्थित हुए जिनके द्वारा प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी तथा कम्प्यूटराईजेशन का कार्य अक्टूबर, 2023 से मार्च, 2025 तक प्रस्तावानुसार NICSI नई दिल्ली के माध्यम से करवाने हेतु निवेदन किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से प्राधिकरण में अक्टूबर 2023 से सितम्बर, 2024 तक कम्प्यूटराईजेशन कार्य NICSI नई दिल्ली के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: जोधपुर किला रोड़ से बालसमंद रावटी सड़क मार्ग तक नवीन सड़क नर्माण कार्य के अन्तर्गत अन्यत्र स्थान पर करवाये गये कार्य में कार्यकारी समिति बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 24 मई 2019 के प्रस्ताव संख्या 4 में निर्णय में संपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं होने के क्रम में संपूर्ण तथ्यों का समावेश करते हुए प्रकरण की अतिरिक्त कार्य की दर स्वीकृति के संबंध में निर्णय हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव।

Scanned with OKEN Scanner

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	जोधपुर किला रोड़ से बालसमंद रावटी सड़क मार्ग तक नवीन सड़क निर्माण कार्य के अन्तर्गत अन्यत्र स्थान पर करवाये गये कार्य में कार्यकारी समिति बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 24 मई 2019 के प्रस्ताव संख्या 4 में निर्णय में संपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं होने के क्रम में संपूर्ण तथ्यों का समावेश करते हुए प्रकरण की अतिरिक्त कार्य की दर स्वीकृति के संबंध में निर्णय हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव।

जोधपुर किला रोड़ से बालसमंद रावटी सड़क तक नवीन सड़क निर्माण कार्य बाबत् ई–निविदा सूचना संख्या जोन उत्तर–सी / 02 / 2013–14 प.क्र 3168 दिनांक 22.04.2013 जारी की गयी थी। कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक JDA/A&F/TA to DE/2012-13 Dated 12.06.2012 राशि रूपये 1000.00 लाख की जारी की गयी थी तथा तकनीकी स्वीकृति क्रमांक DE/N-C/64/13-14 Dated 24.04.2013 राशि रूपये 1000.00 लाख की जारी की गयी थी। संवेदक को कार्यादेश क्रमांक 3768 दिनांक 21.08.2013 राशि रूपये 89874078 / –(7% Above G-Schedule) PWD BSR 2012 पर जारी किया गया था।

तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदया के जोधपुर प्रवास के दौरान उक्त कार्यादेश के अन्तर्गत मुख्यमंत्री जन–आवास योजना द्वितीय फेज तनावड़ा में सड़क निर्माण कार्य करवाया गया, जिसकी पत्रावली के पैरा–123 पर तत्कालीन आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राशि रूपये 20.59 लाख की स्वीकृति दिनांक 16.12.2016 को प्रदान की गई तथा पत्रावली के पैरा–149 द्वारा अन्यत्र स्थान पर करवाये गये उक्त कार्य का अनुमोदन कार्यकारी समिति में करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये है। मौके पर चतुर्थ रनिंग बिल तक कुल राशि रूपये 8,24,82,086 / – का कार्य संपादित किया गया है। तत्समय दक्षिण जोन में 2016–17 के दौरान दो कार्य वार्षिक अनुबंध के चालू थे और उनमें बीएसआर 2013 पर क्रमशः 21.99%, 24.62% Below दरों पर कार्यादेश दिया गया था जबकि उक्त कार्य के लिये बीएसआर 2012 पर 7% Above पर कार्यादेश दिया गया था। अतिरिक्त कार्य के तकमीने विश्लेषण के अनुसार दोनों बीएसआर 2012 के अनुसार उक्त दरें 10.96% Below आती है। कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्य दक्षिण जोन में करवाया गया जबकि मूल कार्यादेश जोन उत्तर का था। चूंकि कार्य की शिफ्टिंग हुई है एवं संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अतः भुगतान किया जाना जेडीए का दायित्व है। कार्यकारी समिति के बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 24 मई 2019 के प्रस्ताव संख्या 4 में कार्य की आवश्यक प्रकृति एवं परिस्थितियों के मध्यनजर कार्य शिफ्टिंग का कार्योतर अनुमोदन एवं जोन दक्षिण की स्वीकृत दर के अनुसार संवेदक को उक्त कार्य का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् सचिव महोदय के पत्रांक बैठक / 2019 / 815–832 दिनांक 07 जून 2019 में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2019 में प्रस्ताव संख्या–4 में लिये गये निर्णय को स्थगित किया गया तथा ''जोधपुर किला रोड़ से बालसमंद रावटी सड़क तक नवीन सड़क निर्माण कार्य'' का प्रस्ताव संपूर्ण तथ्यों का समावेश कर निदेशक–अभियांत्रिकी से स्पष्ट प्रस्ताव मय स्पष्टीकरण निर्णयार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का आदेश जारी किया गया।

निदेशक वित ने आयुक्त महोदय को यू.ओ. नोट क्रमांक लेखा / 2019–20 / 50 दिनांक 7 जून 2019 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 24 मई 2019 के प्रस्ताव संख्या 4 में निर्णय का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि ''जोधपुर किला रोड़ से बालसमंद रावटी सड़क तक नवीन सड़क निर्माण कार्य'' के प्रस्ताव के निर्णय में संपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं हुआ। जिसके संदर्भ में यथा–कार्य की भुगतान की राशि एवं भुगतान की दरों की शर्तें आदि निम्नानुसार है।

संवेदक को निम्नानुसार रनिंग बिलों का भुगतान किया गया है:–

Scanned with OKEN Scanner

बिल क्रमांक	राशि	दिनांक
प्रथम रनिंग बिल	1,91,53,846/—	15.10.2013
द्वितीय रनिंग बिल	2,77,69,414/—	25.03.2014
तृतीय रनिंग बिल	1,94,14,434/—	23.05.2016
चतुर्थ रनिंग बिल	1,61,44,392/—	15.07.2017
योग	8,24,82,086/—	

उक्त कार्य राज्य सरकार को भेजे गये "गैर राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यों एवं स्थान परिवर्तन कर कराये गये विकास कार्यों" के भुगतान की सूची में सम्मिलित था, जिसका क्रमांक 158 (सी—63) है।

नगरीय विकास विभाग द्वारा उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों के लिये गठित सक्षम समिति द्वारा मौका निरीक्षण उपरांत प्राधिकरण बैठक एवं कार्यकारी समिति इत्यादि से अनुमोदन पश्चात् उक्त कार्य हेतु राज्य सरकार को अधिक एवं अतिरिक्त तथा स्थान परिवर्तन कर करवाये गये कार्यों की सूची में सम्मिलित करते हुए अतिरिक्त/अधिक का प्रकरण राशि का भिजवाया गया, जो कि सूची क्रमांक 158 (सी—63) पर है।

उक्त कार्य की उपरोक्तानुसार स्वीकृति राज्य सरकार के पत्रांक प.10(01)नविवि/2003पार्ट दिनांक 10.03.2021 तथा 29.10.2021 द्वारा उक्त कार्य पर कुल राशि रूपये 8,24,82,086/— की स्वीकृति राज्य सरकार के उपरोक्त पत्रांकों द्वारा प्राप्त हुई है।

दिनांक 24 मई 2019 के बैठक कार्यवाही विवरण में लिये गये निर्णय के संदर्भ में तथ्यात्मक टिप्पणी निम्नानुसार है:—

शिपिटंग कर करवाये गये अतिरिक्त कार्य की मात्राओं का एम.बी में इन्द्राज रिकॉर्ड किया गया है, परन्तु करवाये गये कार्य की लागत राशि नहीं निकाली गयी है, जिस कारण से सक्षम कमेटी द्वारा उक्त कार्य पर राशि रूपये 8,24,82,086/— का व्यय मानते हुए राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित किया गया। तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त कार्य हेतु राशि रूपये 8,24,82,086/— की स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही शिपिटंग कार्य की राशि आयुक्त महोदय के पत्रावली के पैरा नं 123 पर प्रदत स्वीकृति अनुसार राशि रू 20.59 लाख की प्रदान की गयी।

जोधपुर किला रोड़ से बालसमंद रावटी सड़क मार्ग तक नवीन सड़क निर्माण कार्य के अन्तर्गत अन्यत्र स्थान पर करवाये गये कार्य में कार्यकारी समिति बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 24 मई 2019 के प्रस्ताव संख्या 4 में निर्णय में संपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं होने के क्रम में संपूर्ण तथ्यों का समावेश करते हुए प्रकरण की अतिरिक्त कार्य की दर स्वीकृति के संबंध में निर्णय तथा अतिरिक्त किये गये कार्य के सक्षम स्तर पर अनुमोदन उपरांत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 25 अप्रेल 2023 को हुई मीटिंग में रखा गया। उक्त बैठक के बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक बैठक/2023/2204 दिनांक 26.04.2023 को जारी आदेश के प्रस्ताव संख्या 15 पर अधीक्षण अभियंता, मुख्य लेखाधिकारी एवं अधिशाषी अभियंता की कमेटी का गठन कर उक्त कमेटी से प्रकरण का परीक्षण करवाकर प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के संदर्भ में कमेटी गठन हेतु पत्रावली भिजवायी गयी। तथा पत्रावली पर हुए निर्णय के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृतियों के क्रम में कार्यकारी समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत करने का निर्देश प्रदान किया गया। राज्य सरकार से प्राप्त आदेशों के क्रम में तथ्यात्मक टिप्पणी निम्नानुसार है:—

Scanned with OKEN Scanner

नगरीय विकास विभाग द्वारा उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों के लिये गठित सक्षम समिति द्वारा मौका निरीक्षण उपरांत प्राधिकरण बैठक एवं कार्यकारी समिति इत्यादि से अनुमोदन पश्चात् उक्त कार्य हेतु राज्य सरकार को अधिक एवं अतिरिक्त तथा स्थान परिवर्तन कर करवाये गये कार्यों की सूची में सम्मिलित करते हुए अतिरिक्त/अधिक का प्रकरण राशि का भिजवाया गया, जो कि सूची क्रमांक 158 (सी–63) पर है। कार्य स्थान परिवर्तन (शिपिटंग) प्रकृति का है, जो सूची के क्रमांक 15 पर वर्णित है।

जिसके संदर्भ में उक्त कार्य की उपरोक्तानुसार स्वीकृति राज्य सरकार के पत्रांक प. 10(01)नविवि/2003 पार्ट दिनांक 10.03.2021 तथा 29.10.2021 द्वारा प्राप्त हुई। अधिक एवं अतिरिक्त कार्य को अनुमोदित कर स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त कार्य पर कुल राशि रूपये 8,24,82,086/– की स्वीकृति सूची क्रमांक 158 हेतु प्रदान की गयी तथा कार्य स्थान परिवर्तन (शिफ्टिंग) प्रकृति, जो सूची के क्रमांक 15 पर वर्णित की स्वीकृति परिवर्तित स्थल एवं परिवर्तित कार्य पर कुल रू 20,59,000/–के साथ कुल व्यय राशि रू 845.41 लाख को अनुमोदित कर स्वीकृति प्रदान की गयी।

दिनांक 24 मई 2019 को हुई कार्यकारी समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव संख्या 04 में निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य के लिये जोन दक्षिण की स्वीकृत दर पर संवेदक को भुगतान किया जावें। परन्तु उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जोन दक्षिण की उपरोक्तानुसार 21.99%, 24.62% Below की किस दर पर भुगतान किया जावें, साथ ही उक्त निर्णय को उपरोक्त वर्णित आदेशों से स्थगित भी कर दिया गया था। संवेदक को मूल कार्य का कार्यादेश 7% Above दरों पर जारी किया गया था। चूंकि उपरोक्तानुसार अतिरिक्त/अधिक कार्य तथा कार्य शिफ्टिंग की सक्षम स्वीकृतियां उपरोक्तानुसार राज्य सरकार से प्राप्त हो गयी है। परन्तु संवेदक को शिफ्टिंग कर किये गये कार्य को किस दर पर भुगतान किया जावें, परस्पर विरोधाभासी हो गया है।

अतः संवेदक को शिफ्टिंग किये गये कार्य को किस दर पर भुगतान किया जावें, इसके निर्णय हेतु प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी देने हेतु श्री ओ.पी. सोलंकी, अधिशाषी अभियन्ता उपस्थित हुए। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से जोन दक्षिण की जो दर सबसे न्यूनतम हो, उस दर से संवेदक को भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: "ग्राम उजलिया IOCL से लाछा बासनी होते हुए रिंग रोड तक अपप्रोच सड़क निर्माण कार्य" की लागत राशि रूपये 900.00 लाख, प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति को जारी किये जाने की स्वीकृति बाबत्।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्प्णीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है। (FTS क्रमांक JDA/FTS/113237) **Rajkaj File No- JDA/FTS/113237-00252**	"ग्राम उजलिया **IOCL** से लाछा बासनी होते हुए रिंग रोड तक अपप्रोच सड़क निर्माण कार्य" की लागत राशि रूपये 900.00 लाख, प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति को जारी किये जाने की स्वीकृति बाबत्।

ग्राम उजलिया खसरा नं 03 IOCL बॉटलिंग प्लांट को आवंटित 50 एकड़ भूमि के लिये प्राधिकरण के पत्रांक F(46)(Allotment North)/2017/677, Date 16-10-2017 के तहत 60 फीट चौड़ी भारी वाहनों के आवागमन हेतु ग्राम उजलिया से स्टेट हाईवे–61 एप्रोच रोड़ उपलब्ध करवायी जानी है। जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा चिन्हित किये गये सड़क मार्ग ग्राम उजलिया **IOCL** से लाछा बासनी

Scanned with OKEN Scanner

होते हुए रिंग रोड तक कार्य की अनुमानित लागत रूपये 900.00 लाख हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति हेतु तकमीना तैयार किया गया। जिसके क्रम में PWC द्वारा पैरा एन/47 से पैरा एन/50 में प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति कार्यकारी समिति की सक्षमता में होने के कारण कार्यकारी समिति की बैठक में स्वीकृति जारी करने की अनुशंषा की गयी।

दिनांक 29 जून 2023 को उपायुक्त जोन–6, संबंधित अभियंतागण एवं **IOCL** के प्रतिनिधि के साथ **IOCL** बॉटलिंग प्लांट के लिये एप्रोच सड़क निर्माण का मौका निरीक्षण किया, एवं करवड़ रिंग रोड़ से होते हुए ग्राम उजलिया में जेडीए की प्रस्तावित फॉर्म हाउस योजना के अंदर से होते हुए **IOCL** बॉटलिंग प्लांट तक सड़क निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित किया गया, एवं वर्तमान में उक्त सड़क निर्माण करवाने के लिये रिंग रोड़ से उजलिया ग्राम को जाने वाली वर्तमान सड़क जो राजस्व रिकॉर्ड में 26 फुट गैर–मुमकिन रास्ता है, जिसे चौड़ा करने के लिये दोनो तरफ की भूमि को अवाप्त किया जाना प्रस्तावित है, जिससे लगभग 30 बीघा भूमि अवाप्ति की जानी होगी। कार्य को त्वरित गति से करने के लिये ''ग्राम उजलिया **IOCL** से लाछा बासनी होते हुए रिंग रोड तक एप्रोच सड़क निर्माण कार्य" फॉर्म हाउस योजना के प्रस्तावित बाई–पास भाग को छोड़ते हुए वर्तमान सड़क निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रूपये 900.00 लाख की स्वीकृति करने एवं समानान्तर रूप से चौड़ाईकरण हेतु आवश्यक अवाप्ति की कार्यवाही करने का निर्णय का प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: सेवाप्रदाता एजेन्सी के मार्फत जो.वि.प्रा में संवेदक के माध्यम से कम्प्युटर ऑपरेटर की सेवाए बाबत संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	सेवाप्रदाता एजेन्सी के मार्फत जो.वि.प्रा में संवेदक के माध्यम से कम्प्युटर ऑपरेटर की सेवाए बाबत संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की अभिशंषा सहित।

उक्त प्रकरण स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023 में स्वीकृति हेतु रखा गया था, लेकिन बैठक कार्यवाही विवरण कमांक/बैठक/2023/2204 दिनांक 26 अप्रैल 2023 के प्रस्ताव संख्या 06 के निर्णयानुसार प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया था। जिसकी पालना में प्रकरण पुनः कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत हैः–

प्राधिकरण कार्यालय में 2 वर्ष के लिए कम्प्युटर ऑपरेटर संवेदक के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु राशि रू. 165.00 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति दिनांक 09.06.2020 को जारी की गई थी। जिसके कम में दो फर्मो जी.एस. एण्ड कंपनी और नवदीप इंटरप्राईजेज को कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंध अवधि के दौरान श्रम विभाग, राज. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ 8(5)(6) न्यू.म.अभि./आई.आर./श्रम/2000/पार्ट/15340 जयपुर दिनांक 30.07.2021 के द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी की गई पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 8(5)(6) न्यू./अभि./श्रम/आई.आर/2000/पार्ट 17953 जयपुर दिनांक 28.06.2022 द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में ओर वृद्धि की गई साथ ही अनुबंध की अवधि तीन माह बढाने के कारण मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 165.00 लाख को संशोधित करते हुए राशि रू. 218.00 लाख की संशोधित

Scanned with OKEN Scanner

प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति SOP-भाग (Goods & Services) के बिन्दु संख्या 01 के अनुसार सक्षमता कार्यकारी समिति में निहित होने के कारण कार्यकारी समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी की गई थी।

अतः कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 218.00 लाख के अनुमोदन कार्यकारी समिति से करवाने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: सेवाप्रदाता एजेन्सी के मार्फत जो.वि.प्रा कार्यालय तथा प्राधिकरण के क्षैत्राधिकार में विभिन्न स्थानो पर संविदा कर्मियो की सेवाए हेतु जारी संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	सेवाप्रदाता एजेन्सी के मार्फत जो.वि.प्रा कार्यालय तथा प्राधिकरण के क्षैत्राधिकार में विभिन्न स्थानो पर संविदा कर्मियो की सेवाए हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 306.09 लाख का अनुमोन की अभिशंषा की जाती है।

उक्त प्रकरण स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2023 में स्वीकृति हेतु रखा गया था, लेकिन बैठक कार्यवाही विवरण कमांक/बैठक/2023/2204 दिनांक 26 अप्रैल 2023 के प्रस्ताव संख्या 11 के निर्णयानुसार प्रकरण 2सम्पूर्ण तथ्यों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया था। जिसकी पालना में प्रकरण पुनः कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत हैः–

प्राधिकरण कार्यालय में 2 वर्ष के लिए मानवश्रम संवेदक के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु राशि रू. 265.00 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति दिनांक 09.06.2020 को जारी की गई थी। जिसके कम में फर्म जी.एस. एण्ड कंपनी को कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंध अवधि के दौरान श्रम विभाग, राज. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ 8(5)(6) न्यू.म.अभि./आई.आर./श्रम/2000/पार्ट/15340 जयपुर दिनांक 30.07.2021 के द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी की गई पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 8(5)(6) न्यू./अभि./श्रम/आई. आर/2000/पार्ट 17953 जयपुर दिनांक 28.06.2022 द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में ओर वृद्धि की गई साथ ही अनुबंध की अवधि तीन माह बढाने के कारण तथा मानवश्रम की संख्या बढाने के कारण मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 265.00 लाख को संशोधित करते हुए राशि रू. 306.09 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति SOP-भाग (Goods & Services) के बिन्दु संख्या 01 के अनुसार सक्षमता कार्यकारी समिति में निहित होने के कारण कार्यकारी समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी की गई थी।

अतः कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 306.09 लाख के अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति में प्रस्तुत है।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: भूखण्ड़ संख्या 120, सेक्टर एल, विवेक विहार योजना के संबध में।

क्रं.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध
01.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	भूखण्ड का पट्टा अवाप्ति शाखा द्वारा जारी होने के कारण आवंटी श्री खेताराम द्वारा इसी योजना में इसी नाप का भूखण्ड आवंटन करने की सहमति पेश की है, अतः भूखण्ड दिया जाना उचित है।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या 120 सेक्टर एल नाप 139.34 वर्ग मीटर श्री खेताराम चौधरी पुत्र श्री बुलाराम चौधरी को लॉटरी के जरिये दिनांक 09.09.2011 को आवंटित हुआ। कार्यालय द्वारा आवंटन पत्र दिनांक 17.09.2014 को जारी किया गया, आवंटी द्वारा भूखण्ड की राशि दिनांक 15.10.2014 को जमा करवाई गई। पट्टा जारी करने पर पाया गया की उक्त भूखण्ड दोहरे आवंटन की सूची में अंकित है। भूखण्ड संख्या 120 सेक्टर एल का पट्टा अवार्ड शाखा द्वारा अवार्ड संख्या 373 ग्राम जोधपुर के तहत श्रीमती कमला शर्मा पत्नि श्री सोहनलाल को दिनांक 18.04.2013 को जारी है। उक्त भूखण्ड का पट्टा अवाप्ति शाखा द्वारा जारी होने के कारण आंवटी श्री खेताराम द्वारा इसी योजना में इसी नाप का भूखण्ड आवंटन करने की सहमति पेश की गई है। एन.आई.सी शाखा द्वारा रिक्त भूखण्डों की सूची अनुसार जो कि सेक्टर एल में जो कि 30 फीट चौडी सडक पर स्थित है। भूखण्ड संख्या 592 व 593 एवं 612 जिनका नाप 139.34 वर्ग.मी है। उक्त भूखण्डों मे से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आंवटन किया जाना है। पत्रावली कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में सरस्वती शिक्षण संस्थान को भौतिक एवं लीजडीड जारी करने बाबत्

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में सरस्वती शिक्षण संस्थान को भौतिक एवं लीजडीड जारी करने हेतु अभिशंषा की गयी

नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा सरस्वती शिक्षण संस्थान को दिनांक 16.06.2008 को रकबा 3000 वर्गगज भूमि का आवंटन पत्र जारी किया गया था जिसकी राशि संस्थान द्वारा समयावधि में जमा करवा दी गयी थी परन्तु नगर विकास न्यास द्वारा उक्त खसरे में ही राजस्थान आवासन मण्डल को भी भूमि का आवंटन किया गया था इसलिए सरस्वती शिक्षण संस्थान को भौतिक कब्जा व लीजडीड जारी नही की गयी।

Scanned with OKEN Scanner

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 08.02.2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि में कोई अपत्ति प्राप्त नही हुई है।

सचिव, सरस्वती शिक्षण संस्थान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भौतिक कब्जा व लीजडीड जारी करने की मांग की गयी। उक्त प्रकरण पूर्व में जोधपुर विकास प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 18 जनवरी 2023 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया था जिसके प्रस्ताव संख्या 03 में उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लेते हुए प्रकरण में दस्तावेजो की पूर्ति करते हुवे प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ आगामी बैठक

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। सचिव, सरस्वती शिक्षण संस्थान द्वारा प्रपत्र–अ, परिशिष्ट–1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट प्रस्तुत कर दिये गये है।

प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक 28 जुलाई 2023 के समक्ष रखा गया जिसके निर्णयानुसार कार्यकारी समिति में अनुमोदन की प्रत्याशा में ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में सरस्वती शिक्षण संस्थान को भौतिक कब्जा एवं लीजडीड जारी की जावें।

अतः सरस्वती शिक्षण संस्थान को आवंटित भूमि का भौतिक कब्जा व लीजडीड जारी करने के अनुमोदन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: "निम्बा निम्बड़ी दरगाह में शेष रहे विकास कार्य" में राज्य सरकार से गठित कमेटी रिपोर्ट अनुसार व्यय तथा अंतिम बिल राशि में अन्तर की स्वीकृति बाबत्।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है। (FTS क्रमांक JDA/FTS/20266)	"निम्बा निम्बड़ी दरगाह में शेष रहे विकास कार्य" में राज्य सरकार से गठित कमेटी रिपोर्ट अनुसार व्यय तथा अंतिम बिल राशि में अन्तर की स्वीकृति बाबत्।

प्राधिकरण में वितीय वर्ष 2012–13 में हुए कार्यो के लिये राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में गठित कमेटी द्वारा बताया गया व्यय निम्नानुसार हैः– (उक्त राशि राज्य सरकार से अनुमोदित है)

1. कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रूः– 35.00 लाख।
2. कार्यादेश राशि रूः– 4164623/–
3. कमेटी द्वारा बताया गया व्यय राशि रूः– 2126281/–
4. अधिक आईटम राशि रूः– 254233/–
5. अतिरिक्त आईटम राशि रूः– 74704/–

कार्य के बनाए गए अंतिम बिल व माप–पुस्तिका में रेड सील तक इन्द्राज माप के अनुसार कार्य पर व्यय निम्नानुसार बताया गया हैः–

Scanned with OKEN Scanner

1. कुल व्यय रू:– 2215971/–
2. अधिक आईटम राशि रू:– 254233/– (पूर्व में स्वीकृत)
3. अतिरिक्त आईटम राशि रू:– 74704/– (पूर्व में स्वीकृत)

कार्य के लिये राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में गठित कमेटी द्वारा बताया गया व्यय रू 2126281/– का प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया गया, जो कि स्वीकृत हो गया है, परन्तु फाइनल बिल बनाने पर कार्य के अंतिम बिल व माप–पुस्तिका में रेड सील तक इन्द्राज माप के अनुसार कार्य पर व्यय रू 2215971/–हुआ है, जिसकी अंतर राशि रू 89690/– सहित कार्य पर हुए कुल संशोधित व्यय रू 2215971/– की स्वीकृति राज्य सरकार स्तर पर ली जानी है। अतः राज्य सरकार से गठित कमेटी रिपोर्ट अनुसार व्यय तथा अंतिम बिल राशि में अन्तर की स्वीकृति हेतु एजेण्डा कार्यकारी समिति के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी देने हेतु श्री ओ.पी. सोलंकी, अधिशाषी अभियन्ता उपस्थित हुए। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए निर्णय लिया गया कि प्रकरण प्राधिकरण की अधिकारिता में आता है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 16 :: गैर राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यों एवं स्थान परिवर्तन कर कराये गये विकास कार्यों की स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में राज्य सरकार को प्रेषित प्रकरण की पुष्टि बाबत्।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है। (FTS क्रमांक JDA/FTS/107482)	गैर राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यों एवं स्थान परिवर्तन कर कराये गये विकास कार्यों की स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में राज्य सरकार को प्रेषित प्रकरण की पुष्टि बाबत्।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प10(01)नविवि/1/2003 पाट जयपुर दिनांक 05 जून 2020 द्वारा गठित समिति जिसमें जिला कलक्टर, जोधपुर के पत्रांक प. 40(35)सामान्य/2020/3974 दिनांक 16/06/2020 द्वारा नामित सदस्य की समिति द्वारा प्रत्येक पत्रावली के कार्य का भौतिक सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई, तत्समय उक्त पत्रावलियां ए.सी.बी में अनुसंधान हेतु प्रस्तुत की गई थी, जो कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण कमेटी को प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

क्रसं	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध वर्ष	संवेदक का नाम	एसीबी का पत्रांक जिससे पत्रावली प्राप्त हुई है	अंतिम बिल राशि (लाखों में)	कार्य पर कुल व्यय (लाखों में)
1.	मंगलेश्वर महादेव हॉस्पिटल में दो मंजिल भवन का निर्माण कार्य।	325	13–14	मैसर्स सांखला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	881/ 11.08. 2020	अंतिम बिल पारित	169.14
2.	सैनिक क्षत्रिय माली समाज शमशान माता का थान में चार दीवारी ऊंची करने एव अन्य	181	13–14	मैसर्स रामदयाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	547/ 17.03. 2021	44.87	87.38

Scanned with OKEN Scanner

	कार्य।						
3.	गोकुल जी की प्याऊ से आठ मील मण्डोर रोड तक फोर लेन सड़क का निर्माण कार्य।	370	12–13	मैसर्स नारायण स्वामी एन्टरप्राईजेज	547 / 17.03. 2021	0.00631	143.59
4.	वार्ड नं 55 में जाटा बास में सीमेन्ट सड़क का कार्य	80	13–14	मैसर्स मातेश्वरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	547 / 17.03. 2021	142.17	142.17
5.	वार्ड नं 64 में विकास कार्य।	सी–12	12–13	मैसर्स मातेश्वरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	547 / 17.03. 2021	अंतिम बिल पारित	226.22
6.	आदर्श कॉलोनी मानसागर में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	168	12–13	मैसर्स चन्द्रविजय एन्टरप्राईजेज	1356 / 02.07. 2021	0.00	39.66
7.	आदर्श कॉलोनी मानसागर में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	165	13–14	मैसर्स चन्द्रविजय एन्टरप्राईजेज	1356 / 02.07. 2021	0.00	55.82

उक्त पत्रावलियों का वर्गीकरण पूर्व की भांति किया गया, जो निम्नानुसार है:–

सूची–एः–RTPP Rule लागू होने से पूर्व जिसका कार्यादेश दिनांक 26.01.2013 से पूर्व जारी किया गया। (प्रकरण क्रमांक 05 व 06, सूची संलग्न)

सूची–बीः–RTPP Rule लागू होने 26.01.2013 से 03.09.2013 तक 20 प्रतिशत अधिक/अतिरिक्त अनुमत थे, लेकिन उक्त सीमा से भी उचित अतिरिक्त अधिक कार्य करवाये गये। (प्रकरण क्रमांक 01, 03, सूची संलग्न)

सूची–सीः–दिनांक 04.09.2013 से 16.02.2018 के मध्य अधिक/अतिरिक्त कार्य करवाने की अनुमत सीमा 50 प्रतिशत थी, अतः इससे भी अधिक राशि के अतिरिक्त एवं अधिक कार्य करवाये गये।(प्रकरण क्रमांक 02, 04, 07, सूची संलग्न)

सूची–डीः–स्थान परिवर्तन कर करवाये गये।(प्रकरण क्रमांक 04, 07, सूची संलग्न)

नगरीय विकास विभाग, राज्य सरकार द्वारा पूर्व जारी स्वीकृति दिनांक 10.03.2021 एवं 29.10.2021 के क्रम में उक्त प्रकरणों में भी कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ उक्त 7 कार्यों की भुगतान स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करने हेतु कार्यकारी समिति बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 07 सितम्बर 2022 में उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए राज्य सरकार द्वारा समान प्रकृति के प्रकरणों में इस हेतु गठित कार्यसमिति से सत्यापन करवाकर प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने हेतु प्रकरण निर्णयार्थ प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। जिसके क्रम में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.03.2023 में प्रस्ताव संख्या 09 में उक्त 7 प्रकरणों को राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। उक्त 7 प्रकरणों में सूची–डी जो कि स्थान परिवर्तन से संबंधित है, जो पूर्व में कार्यकारी समिति बैठक विवरण दिनांक 07 सितम्बर 2022 तथा प्राधिकरण बैठक दिनांक 29.03.2023 के निर्णय में सम्मिलित नहीं थी।

पूर्व की भांति भेजी गयी पत्रावलियों में गठित कमेटी के क्रम में कार्यालय के पत्रांक लेखा/एफ/डीई/2023–24/482 दिनांक 04 मई 2023 को कमेटी गठन हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को पत्र प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में जिला कलक्टर महोदय स्तर से 3 सदस्यीय कमेटी गठन किया गया। गठित 3 कमेटी द्वारा उक्त पत्रावलियों का दिनांक 09.06.2023 और दिनांक 09.07.2023 को भौतिक सत्यापन पश्चात् संपादित कार्यों की रिपोर्ट सचिव महोदय को पत्रांक लेखा/एफ/डीई/2023–24/416 दिनांक 28.07.2023 द्वारा प्रस्तुत की गयी। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण एवं कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में रिपोर्ट राज्य सरकार को पत्रांक लेखा/एफ/2023–24/439 दिनांक 02.08.2023 द्वारा प्रेषित की गयी।

Scanned with OKEN Scanner

अतः गैर राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यों एवं स्थान परिवर्तन कर कराये गये विकास कार्यों की स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में राज्य सरकार को प्रेषित प्रकरण की पुष्टि बाबत् प्रकरण कार्यकारी समिति में सादर प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में उपस्थित निदेशक–अभियांत्रिकी ने प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार गैर राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यों एवं स्थान परिवर्तन कर कराये गये विकास कार्यों की स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में राज्य सरकार को प्रेषित प्रकरण की पुष्टि करते हुए निर्णय लिया कि प्रकरण प्राधिकरण की अधिकारिता का है। अतः कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2023/ भाग–14/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या ...76... /एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

(डॉ. हरीतिमा)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2023/ 2509-2528 दिनांक :: 05.09.2023

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
03. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04. निजी सचिव जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
05. निजी सचिव, प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर/ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
06- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
07. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. आयुक्त, नगर निगम (उत्तर/दक्षिण) जोधपुर
09. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
10. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
11. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
12. प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
13. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
14. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. उपायुक्त–1/2/3/4/5/6/ उपसचिव / भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

Scanned with OKEN Scanner

17. अधीक्षण अभियन्ता–I / II / III, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

18. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।

19. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

20. ....

(डॉ. हरीतिमा)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner

श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 23 अगस्त, 2023 को दोपहर 12.15 बजे आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री पंकज कुमार, उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर – जिला कलक्टर महोदय प्रतिनिधि
2. श्री जगदीश चन्द्र व्यास, अधीक्षण अभियन्ता, शहर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
3. श्री लतेश कुमार, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
4. श्री अनिल सोनी, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिटी सर्कल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5. श्री दीपक गुप्ता, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर–दक्षिणम
6. श्रीमती अंशु जैन, सहायक उपायुक्त (यातायात) यातायात पुलिस, जोधपुर
7. श्री भानु प्रताप, उप निदेशक, पर्यटन विभाग, जोधपुर
8. श्री दशरथ कुमार सोलंकी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री राजेन्द्र प्रसाद दिवाकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–4, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री प्रकाश चन्द अग्रवाल, उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री श्रवण कुमार विश्नोई, उपायुक्त–6, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुरै
14. डॉ. हरीतिमा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

000

0

Scanned with OKEN Scanner